न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- राजकेश मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 77/2020

वादीगण:-

1. महेश पुत्र श्री पुखराज
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री पुखराज
3. रामरखी पत्नी श्री पुखराज

जाति महाजन, निवासी रामनगर धेराई, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. हरीकिशन पुत्र श्री गंगानारायण
2. जयकिशन पुत्र श्री गंगानारायण
3. अयोध्या पुत्री श्री गंगानारायण
4. इन्द्रा पुत्री श्री रामचन्द्र
5. आशा पुत्री श्री रामचन्द्र
6. नेनी पुत्री श्री रामचन्द्र
7. आयु पुत्री श्री रामचन्द्र
8. ऊषा पुत्री श्री रामचन्द्र
9. कौशल्या पुत्री श्री रामचन्द्र
10. रामप्यारी पत्नी श्री रामचन्द्र

जाति महाजन, निवासी रामनगर धेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।

11. विशनाराम पुत्र श्री बाबुलाल
12. अखेराज पुत्र श्री धेवरचन्द

जाति सोनार, निवासी धेराई

13. पवन कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति महाजन गांधी निवासी धेराई, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

14. पारू पत्नी श्री पुनाराम, जाति जाट, निवासी रामनगर चेराई
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
15. चिमाराम पुत्र श्री मेगाराम,
16. दिनेश कुमार पुत्र श्री गोरखाराम
    जाति मेघवाल, निवासी चेराई
    तहसील तिंवरी, जिला–जोधपुर।
17. श्रीमान् तहसीलदार, तिंवरी।
18. अशोकसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
19. प्रेमकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह
    जाति राजपूत, निवासी महादेवनगर चेराई
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
20. पुनाराम पुत्र श्री रघुनाथराम
    जाति मेघवाल, निवासी चेराई, तहसील तिंवरी
    जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

वादीगण – अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

प्रतिवादी संख्या 1 से 16, 18 से 20 की ओर से अधिवक्ता

श्री जसवन्तसिंह चौहान

प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांक:– 15/6/2022

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1102 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2770 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है जिस पर वादीगण का संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण अपने 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलेक्टर, [illegible]

वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भौतिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा मौके पर अपने अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है तथा काश्त करते है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है जिससे वादीगण को भयंकर समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादग्रस्त भूमि सड़क के पास स्थित है। वादीगण के अपने हक हिस्से की भूमि के चारों तरफ खुटें रोपकर तारबन्दी की हुई है तथा लगातार वादीगण का कब्जा चला आ रहा है परन्तु वादीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि में प्रतिवादीगण दखलंदाजी करते रहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को तरह–तरह के बहाने बताते रहे जिसे वादीगण हकीकत समझते रहे। दिनांक 16.10.2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त वाली भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने व भूमि आगे से आगे बेचान करने की एलानिया धमकी दी जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने गांव के मुख्यान को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण को समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मान रहे है तथा वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करवाना चाहते है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि से वादीगण को बेदखल कर भूमि हड़पना चाहते है तथा पूर्व में भी राजस्व रेकर्ड मे विभाजन करवाये बिना भूमि बेचान कर दी तथा और भी बेचान करने हेतु उतारू है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1102 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2770 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में वादीगण का 1/6 हिस्से के रूप मे खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें तथा मौके पर कब्जा काश्त एवं वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादीगण के 1/6 हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान ने वकालात नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की ओर से जवाब दावा पेश किया कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर भौतिक रूप से विभाजन किया हुआ है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में अदृश्य दर्ज है। परन्तु वादीगण ने वाद पत्र के साथ झुठा व बनावटी नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वादीगण का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा न ही विभाजन में है। वादीगण व प्रतिवादीगण का जवाब दावे के साथ सलग्न नजरी नक्शे

अनुसार कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक हिस्से में कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। वादीगण ने अपने वाद में अंकित किया कि पूर्व में भी राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाये बिना भूमि बेचान कर दी तथा और भी बेचान करने हेतु उतारू है। जबकि पूर्व में वादीगण के बड़े पिता मोहनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि में से निश्चित भू-भाग के पड़ौस दर्शाकर भूमि का बेचान किया गया जिसमें वादीगण के साख के रूप में हस्ताक्षर है। उक्त बेचान नामे में दक्षिणी पड़ौस में प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के पिता व पति रामचन्द्र महाजन के हिस्से की भूमि स्पष्ट रूप से अंकित है तथा उक्त खातेदारी भूमि के पास आवासीय भूखण्ड वादी महेश व मोहनलाल द्वारा संयुक्त रूप से बेचान किया गया जिसके बेचान नामा में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 की माता व स्वयं 10 का पड़ौस में नाम अंकित किया हुआ है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि मौके पर विभाजन किया हुआ है। उक्त वाद की आड़ में वादीगण प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि हड़पना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया। जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ताओं ने वादीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार प्राथमिक जारी करने हेतु दिनांक 02.02.2021 को सहमति जाहिर की जिस पर तहसीलदार तिंवरी से बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया जो दिनांक 09.02.2021 को तहसीलदार तिंवरी का बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति होने पर तहसीलदार को दिनांक 12.02.2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भूअभिलेख निरीक्षक, पटवारी को मौके पर भेजकर प्रस्ताव तैयार कराने हेतु आदेश दिया। वादग्रस्त भूमि बाबत् स्थगन होने से प्रतिवादी संख्या 4 से 10 ने न्यायालय से अनुमति ली गई तथा न्यायालय अनुमति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 से 10 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अशोकसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह व प्रेमकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह व पुनाराम पुत्र श्री रघुनाथराम को बेचान कर दिया जिस पर अशोकसिंह, प्रेमकंवर व पुनाराम द्वारा आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब न देकर सीधी बहस करना चाही। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक की नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलवाई गई।

दिनांक 22.02.2021 को तहसीलदार तिंवरी से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। वादी अधिवक्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु लिखा गया। जिस पर तहसीलदार तिंवरी द्वारा 06.04.2021 को केवल मात्र मौका रिपोर्ट पेश की गई। बाद पत्रावली अवलोकन कर न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.06.2022 को वादी महेश व वादीगण के अधिवक्ता रामकिशोर ओझा एवं प्रतिवादी अशोकसिंह व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता जसवन्तसिंह ने न्यायालय में लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 22.02.2021 के अनुसार व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति जाहिर की तथा उक्त को लोक अदालत की भावना

से जरिये राजीनामा निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार तहसीलदार तिंवरी के बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 22.02.2021 व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1102 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2770 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम रामनगर, पटवार हल्का चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर बाबत् तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.02.2021 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है बाद विभाजन प्रतिवादी संख्या 4 से 10 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 18 से 20 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से उभय पक्षकारान को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि एक दुसरे के हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें इसी आशय की अंतिम डिक्री अलग से जारी की जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.02.2021 निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 15/6/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां